संख्या-21/2022/I/251807/38-2005(099)/987/2019

प्रेषक,

रमेश चन्द्र मिश्र,
उपसचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

ग्राम्य विकास अनुभाग-2

लखनऊ: दिनांक 22 दिसम्बर, 2022

विषयः- महानिदेशक, दीनदयाल उपाध्याय, राज्य ग्राम्य विकास संस्थान के लेखाशीर्षक 2515-अन्य ग्राम्य विकास कार्यक्रम-003-प्रशिक्षण-03 कार्मिकों का प्रशिक्षण (क्षेत्रीय/जिला ग्राम्य विकास संस्थान) के वेतन मद से **2501-01-800-04-**जिला ग्राम्य विकास अभिकरण प्रशासन-31-सहायता अनुदान-सामान्य (वेतन) में धनराशि रू0 736.20 लाख के पुनर्विनियोग के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-1398/स्था0-5/अभि0/2021 दिनांक 08 अगस्त, 2022 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसमें जिला ग्राम्य विकास अभिकरण के 58 से 60 वर्ष की सेवा पर सेवानिवृत्तिक लाभ हेतु अर्ह कार्मिकों को देय लाभ के संबंध में मा0 उच्चतम न्यायालय में उत्तर प्रदेश राज्य की ओर से योजित विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या-5527/2019 में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 18.04.2022 के क्रम में उक्त कार्मिकों को देय सेवानिवृत्त लाभों पर लगभग धनराशि रू0 7,36,19,785/- के व्यभार का उल्लेख करते हुए बजट व्यवस्था कराये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 18.04.2022 के अनुपालन में जिला ग्राम्य विकास अभिकरण के 58 से 60 वर्ष की सेवा पर सेवानिवृत्तिक लाभ हेतु अर्ह कार्मिकों को देय लाभ के भुगतान हेतु वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुदान संख्या-13 के अन्तर्गत **लेखाशीर्षक-2515-अन्य ग्राम्य विकास कार्यक्रम-003-प्रशिक्षण-03 कर्मचारियों का प्रशिक्षण (क्षेत्रीय/जिला ग्राम्य विकास संस्थान') के मानक मद 01-वेतन से लेखाशीर्षक-2501-01-800-04-** जिला ग्राम्य विकास अभिकरण प्रशासन-31-सहायता अनुदान-सामान्य (वेतन) में धनराशि रू0 736.20 लाख (रूपये सात करोड़ छत्तीस लाख बीस हजार मात्र) की अतिरिक्त बजट व्यवस्था पुनर्विनियोग के माध्यम से किये जाने पर निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

(1) बचत की मद में पुनः धनराशि की मांग नही की जायेगी।

(2) आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0, लखनऊ प्रकरण में निहित विधिक बाध्यता के क्रम में निर्णय

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

लिये जाने से पूर्व आश्वस्त हो लेंगे कि विधिक उपचार के समस्त विकल्पों पर यथासंभव विचार कर लिया गया है।

(3) प्रश्नगत धनराशि का आवंटन, किसी प्रकार के व्यय का प्राधिकार नही देता। धनराशि के आहरण से पूर्व उसके देयता की अनुमन्यता/पुष्टि आदि को सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण दायित्व आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0, लखनऊ का होगा।

(4) प्रश्नगत प्रस्ताव का परीक्षण बजट की उपलब्धता के आधार पर किया गया है। प्रश्नगत धनराशि की स्वीकृति किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और फाइनेंशियल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अंतर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

(5) योजनान्तर्गत प्रश्नगत धनराशि के उपयोग में द्विरावृत्ति न हो तथा आंकड़ो की शुद्धता सुनिश्चित किये जाने का दायित्व आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0, लखनऊ का होगा।

(6) स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष वास्तविक आवश्यक धनराशि का ही आहरण कोषागार से चरणों में किया जायेगा।

(7) बचत की मद में पुनः धनराशि की मांग नही की जायेगी।

(8) स्वीकृत की जा रही धनराशि के संबंध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक 07 जून, 2022 व अन्य संगत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

भवदीय,
रमेश चन्द्र मिश्र
उप सचिव।

संख्या-21/2022/ I/251807/38-2005(099)/987/2019 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी) प्रथम /द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
2- महानिदेशक, दीनदयाल उपाध्याय, राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, बक्शी का तालाब, लखनऊ।
3- अपर आयुक्त (वित्त), ग्राम्य विकास उ0प्र0, लखनऊ।
4- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- श्री हरीराम, संयुक्त सचिव/नोडल अधिकारी, ग्राम्य विकास विभाग, उ0 प्र0 शासन।
6- सम्बन्धित जनपद के कोषाधिकारी।
7- निदेशक, वित्तीय/सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
8- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
9- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-2
10- ग्राम्य विकास अनुभाग-3
11- गार्ड बुक।

आज्ञा से,
रमेश चन्द्र मिश्र
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

File No.38-2005(099)/987/2019- -2-

बी एम-9 (भाग-1)

पुनर्विनियोग के लिए आवेदन/स्वीकृति

(संदर्भ : बजट मैनुअल का प्रस्तर- 158)

A038-20222023-38-2005-099-987-2019

विषय:-महानिदेशक, दीनदयाल उपाध्याय, राज्य ग्राम्य विकास संस्थान के लेखाशीर्षक 2515-अन्य ग्राम्य विकास कार्यक्रम-003-प्रशिक्षण-03 कार्मिकों का प्रशिक्षण (क्षेत्रीय/जिला ग्राम्य विकास संस्थान)के वेतन मद से जिला ग्राम्य विकास अभिकरण प्रशासन-31-सहायता अनुदान-सामान्य (वेतन) में धनराशि रु0 736.20 लाख का पुनर्विनियोग।

निम्नलिखित निधियो से प्रस्तावित संक्रमण

अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष	मानक मद	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान / विनियोग	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	संक्रमण के पशचात् शेष अनुदान / विनियोग	वित्तीय वर्ष
013	2515000030300 (कर्मचारियों का प्रशिक्षण(क्षेत्रीय/जिला ग्राम विकास संस्थान)	01 (वेतन)	51,70,00,000 रुपये इक्यावन करोड़ सत्तर लाख मात्र	7,36,20,000 रुपये सात करोड़ छतीस लाख बीस हजार मात्र	-7,36,20,000 रुपये सात करोड़ छतीस लाख बीस हजार मात्र	44,33,80,000	2022-2023

निम्नलिखित निधियो मे प्रस्तावित संक्रमण

अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष	मानक मद	वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध / विनियोग	संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि	संक्रमण के पशचात् शेष अनुदान / विनियोग	वित्तीय वर्ष
013	2501018000400 (जिला ग्राम्य विकास अभिकरण प्रशासन)	31 (सहायता अनुदान - सामान्य (वेतन))	60,00,00,000 रुपये साठ करोड़ मात्र	7,36,20,000 रुपये सात करोड़ छतीस लाख बीस हजार मात्र	67,36,20,000	2022-2023

File No.38-2005(099)/987/2019- -2-

कृपया उपरोक्त प्रस्ताव पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रशासनिक विभाग को अनुमोदन देना चाहें :-

1- तालिका-1 में उपलब्ध बचत का कारण- 03-कर्मचारियों का प्रशिक्षण(क्षेत्रीय/जिला ग्राम विकास संस्थान) के मानक मद 01-वेतन के अन्तर्गत धनराशि रू0 736.20 लाख की वर्तमान वित्तीय वर्ष में आवश्यकता न होने के कारण बचत है।

2- मा0 उच्चतम न्यायालय में उत्तर प्रदेश राज्य की ओर से योजित विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या-5527/2019 उ0प्र0 राज्य बनाम श्रेयांश कुमार जैन में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 18.04.2022 के अनुपालन हेतु जिला ग्राम्य विकास अभिकरण प्रशासन- 31-सहायता अनुदान-सामान्य (वेतन) मद में रू0 736.20 लाख की अतिरिक्त बजट की अपरिहार्य आवश्यकता है।

3- प्रमाणित किया है कि उक्त पुनर्विनियोग में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअलके प्रस्तर-150, 151, 154 व 155 में विनिर्दिष्ट प्रतिबंधों/परिसीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है।

शर्तें एवं प्रतिबन्ध:-

(1) जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और फाईनेंशियल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये।

(2) जिस बचत की मद से पुनर्विनियोग किया जा रहा है, उस मद में अतिरिक्त धनराशि की मांग नहीं की जायेगी।

(3) पुनर्विनियोगित धनराशि का व्यय संबंधित मदों में ही वर्तमान वित्तीय वर्ष में नियम संगत रूप से किया जायेगा तथा अनुपयोगिक धनराशि वित्तीय वर्षान्त में सुसंगत लेखाशीर्षक में राजकोष में जमा की जायेगी।

(4) प्रश्नगत धनराशि का आवंटन, किसी प्रकार के व्यय का प्राधिकार नहीं देता, स्वीकृत धनराशि के व्यय/उपभोग किये जाने में अन्य वित्तीय नियमों का अनुपालन किया जायेगा।

(5) जिस प्रायोजन हेतु धनराशि की मांग की जा रही है, उस मद में ही आवश्यकतानुसार आहरित कर धनराशि व्यय की जायेगी।

(6) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय करने से पूर्व वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 07 जून, 2022 द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

संख्याः आर ई-<0जी/-1-165> -2022-23, दिनांक- 12 सितंबर, 2022

सेवा में,
महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम,
इलाहाबाद (प्रयागराज)।

Signed by रमेश चन्द्र मिश्र
Date: 13-09-2022 17:55:18
Reason: Approved

(रमेश चन्द्र मिश्र)
उपसचिव, ग्राम्य विकास विभाग।

(फूल चन्द यादव)
अनु सचिव, वित्त विभाग।